रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236250
CG-DL-E-02062022-236250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2022/ज्येष्ठ 12, 1944
No. 392]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2022/JYAISHTHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2022

सा.का.नि. 413(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 234(अ), तारीख 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र कर प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए थे;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 115क के उप-नियम (9) में, सारणी 1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी 1

(टीआरईएम चरण-4)

गैर – सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क चलायमान चक्र (एनआरटीसी) परीक्षण चक्र के लिए लागू उत्सर्जन सीमा

	से लागू	सीओ	एचसी	एनओएक्स	पीएम	परीक्षण चक्र*
श्रेणी केडब्लू		जी/केडब्लूएच				
37≤पी <56	1 अक्तूबर, 2022	5.0	4.7(एचसी+एनओएक्स)		0.025	एनआरएससी और एनआरटीसी
56≤पी<130		5.0	0.19	0.4	0.025	
130≤पी<560		3.5	0.19	0.4	0.025	

*एआईएस: 137 में यथा विहित और समय-समय पर यथा-संशोधित परीक्षण चक्र ।"।

[सं. आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिमबार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 272(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2022

G.S.R. 413(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, *vide* notification number G.S.R. 234 (E), dated the 31st March, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st March, 2022;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115A, in sub-rule (9), for Table 1, the following Table shall be substituted, namely:-

“Table 1

(TREM Stage – IV)

Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle

	Applicable with effect from	CO	HC	NOx	PM	Test Cycle*
Category, kW		g/ kWh				
37 ≤P < 56	**1st October, 2022**	5.0	4.7 (HC+NOx)		0.025	NRSC and NRTC
56 ≤P < 130		5.0	0.19	0.4	0.025	
130 ≤P < 560		3.5	0.19	0.4	0.025	

*Test cycle as described in AIS: 137and as amended from time to time.”.

[No. RT-11028/22/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 272(E), dated the 5th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.06.02 19:47:24 +05'30'